

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Statutory Resolution Regarding Approval for Amending the Second Schedule of the Customs Tarriff Act

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूँ:

“कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 28/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380 (अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उदग्रहीत किया जा सके।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 28/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380 (अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उदग्रहीत किया जा सके।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
